कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना, 1976

जी.एस.आर.488 (ई) – कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19वां) की धारा 6-सी द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा निम्नलिखित योजना बनाती है, यथा –

अध्याय – 1

प्रारंभ

1. **संक्षिप्त नाम, प्रारंभ तथा लागू होना** – (1) इस योजना को कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना, 1976 के नाम से जाना जाएगा।

(2) इस योजना के उपबंध 1 अगस्त 1976 से प्रभावी होंगे।

(3) कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 16 की उप धारा (2) एवं धारा 17 (2ए) के रहते हुए, यह योजना उन सभी फैक्ट्रियों एवं अन्य स्थापनाओं के कर्मचारियों पर लागू होगी जिन पर उक्त अधिनियम लागू है ।

परन्तु इस योजना के उपबंध असम राज्य की चाय फैक्ट्रियों पर लागू नहीं होंगे।

2. **परिभाषाएं** - (1) इस योजना में जब तक अन्यथा आवश्यक न हो : -

(ए) 'अधिनियम' का अर्थ है कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19वां)

(बी) 'बीमा लाभ' का अर्थ है वह भुगतान, जो कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में जमा औसत शेष से संबंधित है, जो निधि का सदस्य रहते हुए किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर उसके परिवार के किसी व्यक्ति या अन्य पात्र व्यक्ति को देय हो ।

(सी) अन्य सभी शब्दों एवं वाक्यांशों, जिनको यहां परिभाषित नहीं किया गया है, का वही अर्थ है जो उन्हे क्रमशः अधिनियम या कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 में दिया गया है।

3. योजना का प्रशासन – इस योजना का प्रशासन अधिनियम की धारा-5ए के अंतर्गत गठित केंद्रीय बोर्ड द्वारा किया जाएगा ।

4. क्षेत्रीय समिति - कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के पैराग्राफ 4 के अंतर्गत गठित क्षेत्रीय समिति इस योजना के प्रशासन के संबंध में समय-समय पर केंद्रीय बोर्ड द्वारा संदर्भित मामलों तथा विशेष रूप से,

(ए) अधिनियम की धारा 17 के अंतर्गत छूट प्राप्त फैक्ट्रियों एवं स्थापनाओं और अधिनियम के अंतर्गत कवर्ड अन्य फैक्ट्रियों एवं स्थापनाओं, दोनों से योजना के अंतर्गत अंशदान की वसूली की प्रगति ; तथा

(बी) अभियोजनों के त्वरित निपटान, के संबंध में केंद्रीय बोर्ड को सलाह देगी ।

5. केंद्रीय बोर्ड द्वारा शक्तियों का प्रत्यायोजन – (1) केंद्रीय बोर्ड, प्रस्ताव द्वारा, अपने अध्यक्ष या आयुक्त या दोनों को प्रस्ताव में उल्लिखित सीमाओं के अधीन, आकस्मिक व्यय, बीमा निधि के प्रशासन के लिए आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति और खरीद के लिए बजट में वित्तीय प्रावधानों के अधीन ऐसी स्थिति में व्यय की स्वीकृति की शक्ति दे सकता है, जब ऐसा व्यय किसी एक मद हेतु अध्यक्ष या आयुक्त को अधिकृत व्यय की स्वीकृत सीमा से अधिक हो ।

(2) केंद्रीय बोर्ड, प्रस्ताव द्वारा, अपने अध्यक्ष या आयुक्त या दोनों को, अधिनियम की धारा 5D की उपधारा (2) तथा (3) में उल्लिखित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अलावा अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्त करने के लिए अधिकृत कर सकता है, जैसा कि अध्यक्ष या आयुक्त या दोनों द्वारा योजना के प्रभावी प्रशासन के लिए उचित समझा जाए ।

(3) उप पैरा (1) के अनुसरण में अध्यक्ष या आयुक्त द्वारा व्यय की सभी स्वीकृतियों की सूचना व्यय की स्वीकृति के बाद, जितनी जल्दी हो सके, केंद्रीय बोर्ड को दी जाए ।

6. आयुक्त की प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियाँ – आयुक्त, केन्द्रीय बोर्ड को संदर्भित किए बिना, आकस्मिक व्यय, बीमा निधि के प्रशासन के लिए आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति, सेवाओं और खरीद के लिए बजट में वित्तीय प्रावधानों के अधीन तथा केंद्रीय बोर्ड द्वारा समय-समय पर किसी एक मद पर व्यय की स्वीकृति के लिए अधिकृत सीमा के अधीन व्यय को स्वीकृत कर सकता है ।

7. अंशदान – (1) अधिनियम की धारा 6-सी की उपधारा (2) और उपधारा (3) के अंतर्गत नियोक्ता तथा केंद्र सरकार द्वारा देय अंशदान की गणना, पूरे माह के दौरान लिए गए मूल वेतन, महंगाई भत्ते (किसी खाद्य राहत के नकद मूल्य सहित) तथा प्रतिधारण भत्ते, यदि कोई हो, के आधार पर की जाएगी, भले ही उसका भुगतान दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक या मासिक आधार पर किया गया हो।

बशर्ते कि, जहाँ किसी कर्मचारी का मासिक वेतन [पंद्रह हजार रुपए] से अधिक हो, तो उसके संबंध में, नियोक्ता और केंद्र सरकार द्वारा दिया जाने वाला अंशदान, महंगाई भत्ते, प्रतिधारण भत्ते (यदि कोई हो) तथा खाद्य राहत के नकद मूल्य सहित पंद्रह हजार रुपए के मासिक वेतन पर देय राशि तक सीमित रहेगा।

(2) प्रत्येक अंशदान की गणना- [निकटतम रूपए में की जाएगी, 50 पैसे या अधिक को निकटतम रूपए में गिना जाएगा तथा रूपए का 50 पैसे से कम भाग छोड़ दिया जाएगा]।

8. अंशदान के भुगतान का माध्यम – (1) अधिनियम की धारा 6-सी की उपधारा (4) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दर के अनुसार नियोक्ता द्वारा प्रशासनिक प्रभार सहित अंशदान को प्रत्येक माह की समाप्ति के पंद्रह दिन के भीतर, आयुक्त द्वारा इस संबंध में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार बैंक ड्राफ्ट या चेक अथवा नकद के रूप में बीमा निधि में जमा किया जाएगा। प्रेषण संबंधी किसी भी लागत का, यदि कोई हो, नियोक्ता द्वारा वहन किया जाएगा।

(2) नियोक्ता द्वारा सीधे तथा किसी ठेकेदार द्वारा या उसके माध्यम से काम पर रखे गए कर्मचारियों से संबंधित अंशदान के भुगतान करने की ज़िम्मेदारी नियोक्ता की होगी ।

(3) प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद केंद्र सरकार अपने अंशदान को जितना जल्दी हो सके बीमा निधि में जमा करेगी।

(4) आयुक्त, नियोक्ताओं से प्राप्त बैंक ड्राफ्ट या चैकों को भारतीय स्टेट बैंक या बैंकिंग कंपनी (अधिग्रहण और उपक्रमों के हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5 वां) की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी भी बैंक में जमा करेगा।

8(ए). किसी अंशदान के भुगतान में चूक करने पर नुकसानी की वसूली - (1) यदि नियोक्ता, बीमा निधि में किसी अंशदान के भुगतान अथवा अधिनियम या योजना के किसी उपबंध के अंतर्गत देय प्रभारों के भुगतान में चूक करता है तो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त या केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, नियोक्ता से निम्नलिखित तालिका में दी गई दर से दंड, नुकसानी के रूप में वसूली कर सकता है : -

तालिका

क्र.सं.	चूक की अवधि	नुकसानी की दर (प्रतिवर्ष बकाए का प्रतिशत)
(1)	(2)	(3)
(ए)	2 माह से कम	पांच
(बी)	2 माह और इससे अधिक पर 4 माह से कम	दस
(सी)	4 माह और इससे अधिक पर 6 माह से कम	पन्द्रह
(डी)	6 माह और इससे अधिक	पच्चीस

(2) नुकसानी की गणना निकटतम रूपये में की जाएगी, 50 पैसे या अधिक को निकटतम रूपये में गिना जाएगा तथा रूपये का 50 पैसे से कम भाग छोड़ दिया जाएगा।

8(बी). नुकसानी में कमी या समाप्ति के नियम एवं शर्तें – केंद्रीय बोर्ड, धारा 14-बी के दूसरे परंतुक में विनिर्दिष्ट किसी स्थापना के संबंध में अधिनियम की धारा 14-बी के अंतर्गत लगाई गई नुकसानी को निम्नलिखित नियम एवं शर्तों के अधीन कम या समाप्त कर सकता है –

(ए) उपक्रम को कर्मचारियों की सहकारी संस्था को हस्तांतरित करने सहित प्रबंधन के परिवर्तन के मामले में और बीमार औद्योगिक कंपनी के किसी अन्य औद्योगिक कंपनी के साथ विलय या एकीकरण के मामले में, नुकसानी को पूरी तरह समाप्त करने की अनुमति दी जा सकती है।

(बी) ऐसे मामलों में जहां औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निमाण बोर्ड, अपनी योजना में दर्ज कारणों के आधार पर इस संबंध में सिफारिश करता है, नुकसानी को 100 प्रतिशत तक समाप्त करने की अनुमति दी जा सकती है।

(सी) अन्य मामलों में, पात्रता के आधार पर, नुकसानी को 50 प्रतिशत तक कम करने की अनुमति दी जा सकती है।

9. नियोक्ता का अंशदान कर्मचारियों के वेतन से नहीं काटा जाना – इसके विरोध में किसी भी अनुबंध के बावजूद, इस योजना के अंतर्गत नियोक्ता द्वारा देय अंशदान को वह कर्मचारियों के वेतन से नहीं काट सकता या उनसे किसी भी अन्य तरीके से इसकी वसूली नहीं कर सकता।

10. नियोक्ताओं के कर्तव्य – (1) योजना के प्रारंभ से पंद्रह दिनों के भीतर प्रत्येक नियोक्ता, आयुक्त को, निर्धारित फार्म में, इस योजना के प्रभावी होने की तारीख से पिछले वित्तीय अथवा लेखा वर्ष की समाप्ति के दिन विद्यमान बीमा योजना की संख्या, नाम, बीमा योजना में जमा शेष का उल्लेख करते हुए, उन सभी कर्मचारियों, जो बीमा योजना के पात्र हों व उसके सदस्य बनेंगे, का एक समेकित विवरण स्थापना के भविष्य निधि के नियमों के अंतर्गत प्रत्येक कर्मचारी द्वारा दिये गये नामांकन पत्र की प्रमाणित प्रतियों के साथ भेजेगा।

(1ए) प्रत्येक नियोक्ता हर माह की समाप्ति के पंद्रह दिनों के भीतर, कर्मचारी भविष्य निधि योजना के फार्म 5 में ऐसे कर्मचारियों की विवरणी, आयुक्त को भेजेगा।

(ए) जो पिछले माह बीमा निधि के पहली बार सदस्य बनने के पात्र होंगे, प्रत्येक ऐसे पात्र कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत नामांकन की प्रमाणित प्रतियों के साथ; तथा

(बी) जो पिछले माह नियोक्ता की सेवाओं को छोड़ चुके हैं।

बशर्ते कि पहली बार बीमा योजना में सदस्य बनने के लिए कोई कर्मचारी पात्र नहीं है या पिछले माह के दौरान किसी भी कर्मचारी ने नियोक्ता की सेवा नहीं छोडी है, नियोक्ता 'शून्य' विवरणी भेजेगा।

(1बी) प्रत्येक नियोक्ता, हर माह की समाप्ति के पच्चीस दिनों के भीतर, निर्दिष्ट फार्म में आयुक्त को एक संक्षिप्त मासिक विवरणी भेजेगा, जिसमें उस माह के लिए सापेक्ष रूप से उन सभी सदस्यों का वह वेतन, जिस पर अंशदान देय हो तथा सभी सदस्यों के लिये नियोक्ता के अंशदान को दिखाया गया हो।

(2) केंद्रीय बोर्ड द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशानुसार, प्रत्येक नियोक्ता बीमा निधि में दिए जाने वाले अंशदान की राशि का लेखा रखेगा तथा यह प्रत्येक नियोक्ता का कर्तव्य होगा कि वह केंद्रीय बोर्ड द्वारा या उसके प्राधिकार द्वारा स्वीकृत बीमा निधि से भुगतान किए जाने में केंद्रीय बोर्ड की सहायता करे।

(3) प्रत्येक नियोक्ता, आयुक्त द्वारा निर्दिष्ट फार्म एवं माध्यम से आयुक्त को इलैक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में उप पैराग्राफ (1), 1(ए), एवं (1बी) में संदर्भित रिटर्न भेजेगा।

11. आयुक्त या निरीक्षक द्वारा अभिलेखों और रजिस्टरों का निरीक्षण : प्रत्येक नियोक्ता, आयुक्त या उसके द्वारा अधिकृत किसी अन्य अधिकारी या निरीक्षक द्वारा मांगे जाने पर उसके समक्ष सभी अभिलेख और रजिस्टर निरीक्षण हेतु प्रस्तुत करेगा ।

12.नियोक्ताओं को फार्मों की आपूर्ति – नियोक्ता के मांग किए जाने पर, आयुक्त उनकी आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त संख्या में इस योजना में संदर्भित फार्म की नि:शुल्क आपूर्ति करेगा।

13.प्रशासन खाता – अधिनियम की धारा 6-सी की उपधारा 4 के अधीन नियोक्ताओं और केंद्र सरकार से प्राप्त अंशदान को "बीमा निधि, केंद्रीय प्रशासन खाता" के नाम से अलग खाते में जमा किया जाएगा और इस योजना के द्वारा या अधीन उपलब्ध कराये गये लाभों की लागत को छोड़कर, इस योजना के प्रशासन से संबंधित सभी व्यय इस खाते से ही किए जाएंगे।

14.निक्षेप सहबद्ध बीमा निधि खाता – अधिनियम की धारा 6-सी की उपधारा (2) व (3) के अंतर्गत नियोक्ता के अंशदान तथा केंद्र सरकार के अंशदान की राशि को "निक्षेप सहबद्ध बीमा निधि खाता" के नाम से जमा किया जाएगा तथा इस योजना के द्वारा या अधीन दिये जाने वाले लाभ के व्यय को इसी खाते से किया जाएगा।

15.बीमा निधि से संबंधित धन का निवेश

(1) बीमा निधि से संबंधित 31 मार्च 1997 को जमा रकम केंद्र सरकार के 'लोक लेखा' में जमा की जाएगी और केंद्र सरकार कम से कम 8.1/2 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज देगी।

(2) 1 अप्रैल, 1997 से बीमा निधि के अंशदान के रूप में जमा धन कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के पैराग्राफ 52 के अंतर्गत अधिसूचित निवेश पद्धति के अनुसार विनिवेश किए जाएंगे ।

16. ब्याज – सभी ब्याज, किराया और अन्य प्राप्त आय तथा विनियोजनों के विक्रय से होने वाले लाभ या हानि, यदि हो, जिसमें बीमा निधि केंद्रीय प्रशासन खातों के लेन-देन शामिल नहीं होंगे, को बीमा निधि में यथा-संदर्भ जमा या आहरित किया जाएगा।

17.बीमा निधि का निष्पादन

(1) अधिनियम एवं इस योजना के उपबंधों के अधीन रहते हुए, इस योजना के उपबंधों के अनुसार देय लाभों के भुगतान के अतिरिक्त बीमा निधि से, जिसमें बीमा निधि केंद्रीय प्रशासन खाता शामिल नहीं है, अन्य व्यय बिना केंद्रीय बोर्ड की पूर्व स्वीकृति के नहीं किए जाएंगे।

(2) बीमा निधि, केंद्रीय बोर्ड द्वारा इस निमित्त अधिकृत किए जाने वाले अधिकारियों द्वारा संचालित किया जाएगा।

18. प्रशासन का व्यय – क्षेत्रीय समिति पर होने वाले व्यय सहित इस योजना के प्रशासन से संबंधित सभी व्यय "बीमा निधि केंद्रीय प्रशासन निधि" से किए जायेंगे ।

19. फार्म एवं खाता के रखरखाव की पद्धति – केंद्रीय बोर्ड अपने प्रशासनिक लेखों सहित आय और व्यय के समुचित लेखे फार्म सं.1 व फार्म सं. 2 में, तथा तुलन पत्र फार्म सं. 3 में रखेगा। लेखे, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए तैयार किए जाएंगे तथा लेखा पुस्तकों का इतिशेष प्रत्येक वर्ष की इकत्तीस मार्च को निकाला जाएगा।

20. लेखा परीक्षण – (1) बीमा निधि केंद्रीय प्रशासन लेखा सहित बीमा निधि के खातों का लेखा परीक्षण भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की सलाह से केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार किया जाएगा।

(2) लेखा परीक्षण के प्रभार का भुगतान बीमा निधि केंद्रीय प्रशासन लेखा से किया जाएगा।

21.बजट – (1) प्रत्येक वर्ष, फरवरी के प्रथम पक्ष से पहले आयुक्त, केंद्रीय बोर्ड के समक्ष अनुमानित अंशदान प्राप्ति, प्रशासनिक प्रभार प्राप्ति तथा अनुगामी वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित व्यय को अलग से दर्शाते हुए बजट प्रस्तुत करेगा। केन्द्रीय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने से पूर्व, एक माह के भीतर केन्द्रीय बोर्ड द्वारा स्वीकृत बजट को केन्द्र सरकार की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जाएगा ।

(2) केंद्र सरकार बजट को स्वीकृत करने से पूर्व, जैसा उचित समझे, संशोधित कर सकती है।

(3) आयुक्त वर्ष के दौरान कभी भी, केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत बजट के प्रावधानों का पुनर्विनियोजन कर सकता है, बशर्ते कि –

(i) केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत बजट की कुल राशि से अधिक न हो।

(ii) यह केवल ऐसे खर्चों के लिए ही किया गया हो जो, पैराग्राफ 18 के अनुसार बीमा निधि केंद्रीय प्रशासन खाते से करना आवश्यक हो, तथा

(iii) इस प्रकार किए गए सभी पुनर्विनियोजन, केंद्रीय बोर्ड की अगली बैठक में उसके द्वारा सूचित किए जायेंगे ।

(4) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए आयुक्त केंद्रीय बोर्ड के समक्ष, विस्तृत अनुमान तथा वर्ष के दौरान व्यय किया जाने वाले संभावित अपरिहार्य व्यय, जिनके लिए स्वीकृत बजट में कोई प्रावधान नहीं है तथा जिसे उप-पैराग्राफ -3 के प्रावधानों के अंतर्गत शामिल नहीं किया जा सकता है, उनका विवरण देते हुए अनुपूरक बजट प्रस्तुत करेगा। केंद्रीय बोर्ड द्वारा अनुमोदित अनुपूरक बजट को, केंद्रीय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किए जाने के एक माह के भीतर, केंद्र सरकार को स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

(5) आयुक्त द्वारा वित्तीय वर्ष के लिए स्वीकृत बजट से अधिक किए गये व्यय, जो उपपैरा (3) व (4) के अंतर्गत भी नहीं आते हो, का पता लगते ही, यथाशीघ्र केंद्रीय बोर्ड को विचार के लिए तथा केंद्र सरकार की स्वीकृति प्राप्त करने लिए सूचित किया जाएगा।

22. **बीमा लाभ के मापदण्ड और कर्मचारियों द्वारा रखी जानेवाली न्यूनतम औसत शेषराशि** (1) किसी ऐसे कर्मचारी, जो इस अधिनियम की धारा 17 के अंतर्गत छूट प्राप्त निधि अथवा भविष्य निधि, जैसा भी मामला हो, का सदस्य हो, की मृत्यु होने पर, मृतक की संचित भविष्य निधि राशि को प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्ति को ऐसी संचित राशि के अतिरिक्त पूर्ववर्ती 12 माह के दौरान अथवा उसकी सदस्यता की अवधि के दौरान, जो भी कम, हो इस अधिनियम की धारा 17 के अंतर्गत छूट प्राप्त निधि अथवा भविष्य निधि, जैसा भी मामला हो, में मृतक के खाते में औसत शेष राशि के बराबर धनराशि का भुगतान किया जाएगा, उन मामलों को छोड़कर जहां औसत शेष राशि पचास हज़ार रुपये से अधिक हो वहां भुगतान की जाने वाली राशि एक लाख रुपये की अधिकतम सीमा के अधीन पचास हज़ार रुपये, जमा पचास हज़ार रुपये से अधिक की धनराशि का 40% होगी।

स्पष्टीकरण 1. निधि या अधिनियम की धारा 17 के अंतर्गत छूट प्राप्त भविष्य निधि में जमा शेष का औसत निकालने के उद्देश्य के लिए संबंधित अवधि हेतु सदस्य के खाते में निधि या अधिनियम की धारा 17 के अंतर्गत छूट प्राप्त भविष्य निधि, जैसा भी मामला हो में जमा कर्मचारी एवं नियोक्ता के अंशदान, चाहे जमा कराया गया हो या नहीं, का कुल योग ब्याज सहित शामिल होगा।

स्पष्टीकरण 2. योजना के अंतर्गत लाभों की गणना के लिए 12 माह की अवधि उस माह से गिनी जाएगी जो सदस्य की मृत्यु माह का पूर्वगामी होगा।

(2) अंशकालीन कर्मचारियों के मामले में जो एक से अधिक फैक्ट्री या स्थापना में सेवा करते हुए निधि या अधिनियम की धारा 17 के अंतर्गत छूट भविष्य निधि, यथा संदर्भ, सदस्य था, इस योजना के अंतर्गत परिलाभों की मात्रा उसके सभी निधि या अधिनियम की धारा 17 के अंतर्गत छूट प्राप्त भविष्य निधि, यथा संदर्भ, खातों के जोड़ के पूर्व बारह माह के औसत के आधार पर निर्धारित की जाएगी।

(3) किसी कर्मचारी की मृत्यु पर, जो अधिनियम की धारा 17 के अंतर्गत छूट दी गई निधि या भविष्य निधि का सदस्य है, जैसा कि मामला हो सकता है, जो जिस महीने में उसकी मृत्यु हुई, उसके पहले बारह महीने की निरंतर अवधि के लिए एक ही स्थापना में रोजगार में था, जिस के बराबर मृतक के भविष्य निधि संचय को प्राप्त करने के हकदार व्यक्तियों को इस तरह के संचय के अतिरिक्त, ऐसी राशि का भुगतान करना होगा, जोकि: –

(i) जिस माह में सदस्य की मृत्यु हुई है, उससे पूर्व 12 माह की अवधि के दौरान औसत मासिक वेतन (अधिकतम 15 हजार रूपए तक) का तीस गुणा तथा पूर्ववर्ती 12 माह या उसकी सदस्यता की अवधि, जो भी कम हो, के दौरान निधि तथा नियम की धारा 17 के अंतर्गत छूट प्राप्त भविष्य निधि या कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952 के पैरा

27 या 27ए के अतर्गत, जैसा भी मामला हो, नए जमा औसत शेष का 50 प्रतिशत, बशर्ते अधिकतम सीमा, एक लाख पचास हज़ार रुपए, बशर्ते आश्वासन लाभ दो लाख पचास हज़ार रूपए से कम न हो ; तथा छः लाख रूपए से अधिक न हो ;

(ii) उप-पैराग्राफ (I) के अंतर्गत लाभ राशि

जो भी अधिक हो।

स्पष्टीकरण – अंशकालिक कर्मचारी जो निधि या अधिनियम की धारा 17 के अंतर्गत भविष्य निधि का सदस्य है, जैसा भी मामला हो, जो मृत्यु के पहले के बारह महीने की निरंतर अवधि के दौरान एक से अधिक फैक्ट्री या स्थापना में कार्यरत था, के संबंध इस योजना के अंतर्गत लाभ की मात्रा बारह माह से अधिक कार्यरत रहने के दौरान प्राप्त सभी वेतन (पंद्रह हजार की सीमा तक) के कुल योग के औसत वेतन के अनुसार निर्धारित की जाएगी।

(4) इस योजना के अंतर्गत लाभ, अनुच्छेद 22 के उप-पैराग्राफ (1) या (2) जैसी भी स्थिति हो, के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों के अतिरिक्त बीस प्रतिशत तक बढ़ाया जाएगा।

23. बीमा परिलाभ किसे देय – (1) कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के अंतर्गत या अधिनियम की धारा 17 के अंतर्गत छूट प्राप्त यथासंदर्भ भविष्य निधि के अंतर्गत किया गया नामांकन इस योजना के अधीन माना जाएगा तथा बीमा राशि ऐसे नामांकित व्यक्ति या व्यक्तियों को देय होंगी।

(2) यदि नामांकन नहीं हो या यदि नामांकन निधि या अधिनियम की धारा 17 के अंतर्गत यथासंदर्भ छूट प्राप्त भविष्य निधि, जमा राशि के किसी भाग के लिए ही हो, तो सभी या उसका भाग, जिसके लिए नामांकन नहीं हो, परिवार के सदस्यों को समान भागों में देय होगा – परन्तु –

(ए) वयस्कता की उम्र प्राप्त कर चुके पुत्र
(बी) मृत पुत्र के वयस्क पुत्र
(सी) विवाहित पुत्रियां जिनके पति जीवित हों,
(डी) मृत पुत्र की विवाहित पुत्रियां जिनके पति जीवित हों,

को कोई हिस्सा देय नहीं होगा, यदि उपर्युक्त खण्ड (ए), (बी), (सी) व (डी) में उल्लिखित के अलावा परिवार का अन्य सदस्य हो।

पुनः मृत पुत्र की विधवा या विधवाओं, तथा उसके बच्चों को उसी राशि भाग में से समान भाग मिलेगा जो मृत पुत्र को सदस्य की मृत्यु के समय जीवित होने व वयस्कता की उम्र प्राप्त नहीं करने की दशा में मिलता।

(3) ऐसे मामलों में जहाँ उपपैराग्राफ (1) व (2) के प्रावधान लागू नहीं होते, तो वे संपूर्ण राशियां इसके लिए कानूनी रुप से हकदार व्यक्ति को देय होगी।

(4) उपपैराग्राफ (1), (2) या (3) की शर्तों के अनुसार मृतक सदस्य के बीमा लाभों को प्राप्त करने का पात्र कोई भी व्यक्ति, यदि सदस्य की हत्या करने या ऐसा अपराध करने के लिए उकसाने का अभियुक्त है, तो उसके बीमा लाभ प्राप्त करने के दावे का निपटारा तब तक लम्बित रखा जाएगा, जब तक कि उसके विरुद्ध प्रारंभ की गई आपराधिक कार्यवाही का निर्णय नहीं हो जाता। यदि, आपराधिक कार्यवाही के निर्णय पर संबंधित व्यक्ति –

(ए) सदस्य की हत्या करने या हत्या के लिए उकसाने का अपराधी पाया जाए तो वह निक्षेप सहबद्ध बीमा लाभ पाने का अधिकारी नहीं होगा, अपितु ये लाभ मृतक सदस्य के परिवार के अन्य पात्र सदस्यों को, यदि कोई हो, देय होंगें या
(बी) सदस्य की हत्या करने या हत्या के लिए उकसाने के अपराध से निरपराध पाया जाए तो, उसका हिस्सा उसे देय होगा।

स्पष्टीकरण – इस पैराग्राफ के उद्देश्य के लिए कर्मचारी की मृत्यु के पश्चात जन्मा बच्चा, यदि जीवित पैदा होता है, उसकी मृत्यु के पूर्व जन्में बच्चे के समान उत्तराधिकारी माना जाएगा।

24.बीमा राशि – कैसे भुगतान किया जाए – (1) इस योजना के अंतर्गत भुगतान प्राप्त करने के लिए आयुक्त द्वारा निर्धारित फार्म में दावेदार या नामांकित लिखित आवेदन पत्र नियोक्ता के माध्यम से आयुक्त को भेजेगा।

(2) यदि वह व्यक्ति, जिसे इस योजना के अंतर्गत भुगतान किया जाना है, अवयस्क या मनोरोगी है तो ऐसे लोगों को भुगतान करने के संबंध में कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के उपबंधों के अनुसार भुगतान किया जाएगा।

(3) जिसे भुगतान किया जाना है, उसके द्वारा दिए गए विकल्प के अनुसार भुगतान किया जा सकता है-

(i) पोस्टल मनी ऑर्डर द्वारा या
(ii) किसी अनुसूचित बैंक या किसी सहकारी बैंक (शहरी सहकारी बैंक सहित) या किसी डाक घर में प्राप्तकर्ता के बैंक खाते में जमा करवा कर या
(iii) प्राप्तकर्ता के नाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की वार्षिकी सावधि जमा योजना में (पूर्ण या आंशिक राशि) जमा करा कर या
(iv) नियोक्ता के माध्यम से,

(4) सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत किए गए सभी दृष्टियों से पूर्ण दावों को आयुक्त द्वारा प्राप्त करने की तारीख से 20 दिनों के भीतर निपटा दिया जाएगा तथा लाभार्थियों को लाभ की राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। यदि दावे में किसी प्रकार की कमी है, उसे लिखित में रिकार्ड किया जाए, ऐसे आवेदन की प्राप्ति की तिथि से बीस दिन के भीतर आवेदक को सूचित कर दिया जाए। सभी तरह से पूर्ण दावे को बिना समुचित कारण के 20 दिनों के भीतर निपटाने में यदि आयुक्त असफल होता है तो उक्त अवधि से आगे विलम्ब के लिए आयुक्त जिम्मेदार होगा तथा देय राशि पर 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से दण्ड ब्याज लगाया जाएगा तथा यह आयुक्त के वेतन से काटा जा सकता है।

25. रजिस्टर, अभिलेख आदि – केंद्रीय बोर्ड की स्वीकृति से आयुक्त, कर्मचारियों के संबंध में रखे जाने वाले रजिस्टर व अभिलेख, परिचय पत्र की आकृति या फार्म, किसी कर्मचारी या इस योजना के अंतर्गत परिलाभ प्राप्त करने के हकदार नामांकित व्यक्ति या व्यक्तियों या परिवार के सदस्य का परिचय प्राप्त करने के उद्देश्य से टोकन या डिस्क तथा अन्य आवश्यकताएं, जो उक्त परिलाभों के भुगतान के लिए पूर्ण करनी आवश्यक हो, का निर्धारण कर सकेगा, जैसा उचित समझे सामयिक रूप से सत्यापित किया जा सकता है ।

26. योजना की गतिविधियों की वार्षिक रिपोर्ट – केंद्रीय बोर्ड प्रत्येक वर्ष, पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान इस योजना की गतिविधियों की रिपोर्ट 10 दिसम्बर से पहले अनुमोदित करेगा तथा प्रत्येक वर्ष 20 दिसम्बर के पहले केंद्र सरकार को प्रस्तुत करेगा।

27. दिशा-निर्देश जारी करने की शक्ति –

28. योजना के उपबंधों से छूट के लिए आवेदन देने वाली स्थापनाओं के संबंध में विशेष प्रावधान - (1) (i) ऐसे कर्मचारी, जिस पर यह योजना लागू हो, से आवेदन प्राप्त होने पर, आयुक्त, आदेश देकर आदेश में उल्लिखित शर्तों के अधीन इस योजना के सभी या किन्ही प्रावधानों के लागू किए जाने से कर्मचारी को छूट दे सकेगा।

बशर्ते ऐसा कर्मचारी फैक्ट्री या स्थापना के नियमों के अनुसार बिना कोई अलग से अंशदान या प्रीमियम दिए, जीवन बीमा की प्रकृति के लाभों का हकदार हो चाहे वह भविष्य निधि जमा से संबद्ध हो या न हो, तथा ऐसे परिलाभ इस योजना के अंतर्गत उपलब्ध परिलाभों से अधिक लाभदायक हों।

(ii) उपर्युक्त के अनुसार, जहां किसी कर्मचारी को छूट दी गई हो, ऐसे कर्मचारी के संबंध में नियोक्ता आयुक्त द्वारा निर्धारित फार्म के अनुसार लेखे रखेगा, विवरणी प्रस्तुत करेगा, निरीक्षण के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराएगा तथा केंद्र सरकार जैसा निर्देश दे, प्रशासनिक प्रभार जमा करेगा और विनियोजन करेगा।

(2) उपपैराग्राफ (1) के अंतर्गत छूट प्राप्त कोई कर्मचारी, आयुक्त को आवेदन पत्र देकर आवेदन कर सकेगा कि इस योजना के लाभ उस पर लागू किए जाए।

(3) कोई भी कर्मचारी प्रत्येक खाते पर एक बार से अधिक छूट प्रदान किए जाने व छूट प्राप्ति से बाहर आने का हकदार नहीं होगा।

(4) (i) इस योजना के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के किसी वर्ग को, आयुक्त द्वारा निर्धारित फार्म पर, उनसे आवेदन प्राप्त होने पर, केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त आदेश देकर, आदेश में उल्लिखित शर्तों के अधीन इस योजना के सभी या किन्ही प्रावधानों के लागू किए जाने से छूट प्रदान कर सकता है:

बशर्ते कि ऐसे कर्मचारियों का वर्ग, फैक्ट्री या स्थापना के नियमों के अनुसार बिना कोई अलग से अंशदान या प्रीमियम दिए बिना, जीवन बीमा की प्रकृति के लाभों का हकदार हो, चाहे वह भविष्य निधि जमा से जुड़ा हो या न हो तथा ऐसे परिलाभ इस योजना के अंतर्गत उपलब्ध परिलाभों से अधिक लाभदायक हों।

(ii) उपर्युक्त के अनुसार, जहाँ कर्मचारियों के किसी वर्ग को छूट दी गई हो, ऐसे कर्मचारियों के संबंध में नियोक्ता, केंद्र सरकार के निर्देशानुसार लेखे रखेगा, विवरणी प्रस्तुत करेगा, निरीक्षण की सुविधाएं उपलब्ध कराएगा, निरीक्षण प्रभार जमा करेगा और केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्देशित प्रकियानुसार विनियोजन करेगा।

(5) उपपैराग्राफ (4) के अंतर्गत छूट प्राप्त कर्मचारियों के वर्ग का बहुमत आयुक्त को आवेदन पत्र देकर, अनुरोध कर सकेगा कि इस योजना के लाभ उन पर लागू किए जाएं।

(6) कर्मचारियों का कोई भी वर्ग या अधिकांश कर्मचारी जो इस तरह का वर्ग बना लें, को अपने प्रत्येक खाते पर एक बार से अधिक छूट प्रदान किए जाने व छूट प्राप्ति से बाहर आने की अनुमति नहीं होगी।

(7) इस योजना में अन्यथा अन्य प्रावधानों के बावजूद, किसी फैक्ट्री या स्थापना के संबंध में अधिनियम की धारा 17 (2-ए) के अंतर्गत छूट का आवेदन प्राप्त हुआ हो, आयुक्त इस योजना के प्रावधानों से तब तक के लिए सामयिक राहत प्रदान कर सकेगा जब तक कि आवेदन का अंतिम निस्तारण नहीं हो जाता।

(8)प्रत्येक नियोक्ता उप पैरा (1) के क्लॉज (ii) तथा उप पैरा (4) के क्लॉज (ii) में संदर्भित रिटर्न को आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट प्रारूप तथा माध्यम के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में भेजेगा।

28-ए. कर्मचारी नामांकन अभियान, 2017 के संबंध में विशेष उपबंध:- कर्मचारी नामांकन अभियान 2017 के अनुसार, जिन कर्मचारियों की सदस्यता कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के पैरा 82ए के अंतर्गत घोषित की गई है, उनके संबंध में योजना के उपबंध जिन अपवादों और संशोधनों के अनुसार लागू होंगे, वे इस प्रकार हैं:-

अनुच्छेद 8ए में उप पैरा (1) में तालिका के लिए निम्नलिखित तालिका को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

तालिका

(कर्मचारी नामांकन अभियान, 2017 के अंतर्गत वैध घोषणाओं के संबंध में प्रेषण हेतु लागू)

चूक की अवधि (1)	नुकसानी की दर (2)
1 अप्रैल, 2009 से 31 दिसंबर, 2016 के बीच	एक रूपया प्रति वर्ष

29. विवरणी आदि प्रस्तुत करने में असफल होने पर सजा – यदि कोई व्यक्ति –

(ए) नियोक्ता के अंशदान को संपूर्ण या उसके किसी भी भाग को सदस्य के वेतन या अन्य भुगतान से काटता है या काटने का प्रयास करता है या

(बी) इस योजना द्वारा आवश्यक विवरणी, विवरण या अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने में असफल होता है या मना करता है या मिथ्या रिटर्न, विवरण या अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करता है या मिथ्या घोषणा करता है या

(सी) अधिनियम या योजना के अंतर्गत नियुक्त निरीक्षक या अन्य कर्मचारी को उसके कार्य निर्वहन में बाधा डालता है या ऐसे निरीक्षक या अन्य कर्मचारी द्वारा निरीक्षण के लिए कोई भी अभिलेख प्रस्तुत करने में असफल होता है या

(डी) इस योजना की किसी अन्य आवश्यकता की अनुपालना का दोषी है,

तो वह एक वर्ष तक बढाए जा सकने वाले कारावास या चार हजार रुपए तक बढाए जा सकने वाले अर्थदण्ड या दोनों से दण्डित किया जा सकता है।

फार्म 1

(पैराग्राफ 19 देखें)

कर्मचारी जमा सहबद्ध बीमा योजना, 1976

..... वर्ष के लिए प्राप्ति एवं भुगतान लेखा

(अंशदान लेखा)

क्र.सं.	प्राप्ति	राशि	क्र.सं.	भुगतान	राशि
1.	01 अप्रैल,..... को आदि शेष		1.	बीमा लाभ	
2.	i. नियोक्ताओं का अंशदान ii. सरकार का अंशदान iii. ..... के लिए सरकार के अंशदान का बकाया		2.	छूट की स्वीकृति के बाद नियोक्ताओं को रिफंड गई राशि	
3.	लोक लेखा में निवेश पर ब्याज		3.	अन्य भुगतान : लेखा संख्या 21 में लेखा संख्या 25 में	
4.	प्रतिभूतियों में निवेश पर ब्याज		4.	अंत शेष	
5.	बचत बैंक खाते पर ब्याज				
6.	शास्तिक नुकसानी				
7.	अन्य प्राप्तियां : लेखा संख्या 21 में लेखा संख्या 25 में				
	कुल			कुल	

वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी

फार्म – 2

[पैराग्राफ 19 देखें]

कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना, 1976

वर्ष ..... के लिए प्राप्ति तथा अदायगी

(प्रशासन लेखा)

क्र.सं.	प्राप्ति	राशि		क्र.सं.	भुगतान	राशि
1	.....को आदि शेष			1	प्रशासन पर भुगतान	
2	वर्ष के दौरान नियोक्ताओं से प्राप्त प्रशासकीय प्रभार				(ए) राजस्व व्यय	
3	प्राप्त निरीक्षण प्रभार				1 वेतन	
4	शास्तिक नुकसानी				2 भत्ते एवं मानदेय	
5	.....के लिए सरकार से निधि के प्रशासन की लागत के लिए प्राप्त राशि				3 यात्रा भत्ता एवं एलटीसी 4 पेंशन / ग्रेचुईटी (स्टाफ) 5 स्टाफ प्रोविडेंट फंड डीएलआई लाभ	
6	(ए)प्रशासन लेखे से निवेश पर प्राप्त (बी)बचत बैंक खाते पर ब्याज (सी) अग्रिमों पर ब्याज				6 अन्य प्रभार (आवर्ती एवं अनावर्ती) 7 अनुदान 8 कार्यालय भवन आदि की मरम्मत एवं रखरखाव	
7.	अन्य प्राप्ति : लेखा संख्या 22 लेखा संख्या 24				(बी) मुख्य व्यय कार्यालय भवन/ स्टाफ क़्वाटर निर्माण आदि	
				2	अन्य भुगतान लेखा संख्या 22 लेखा संख्या 24	
				3	अंतशेष	
	कुल				कुल	

वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी

फार्म 3

[पैराग्राफ19 देखें]

कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना, 1976

31 मार्च.....को तुलनपत्र

विगत	क्र.सं.	अनुसूची	राशि	विगत	क्र.सं. परिसंपत्तियां	अनुसूची	राशि

वर्ष 31 मार्च को शेष	देयताएं	संख्या		वर्ष 31 मार्च को शेष		संख्या	
	1. कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा निधि खाता 2. कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा निधि प्रशा. खाता 3. विविध जमा	I			1. निवेश खाता (क) कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा निधि खाता (i) प्रतिभूतियों में निवेश (ii) सार्वजनिक खाते में जमा (ख) कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा निधि प्रशा. खाता (i) सावधिक जमे में निवेशित राशि (ii) क.भ.नि. प्रशा. खाते से देय राशि 2. रोकड़ शेष 3. अंतरण में प्रेषण 4. विविध नामे	II III IV V VI VII VIII	
	कुल				कुल		

विगत वर्ष **फुट नोट**

रू. लाख 1. दिनांक 31-3 – को नियोक्ताओं से क.नि.स.बी. अंशदान
रू.
रू. ,, 2. दिनांक 31-3 – को नियोक्ताओं से देय क.नि.स.बी. प्रशा. एवं निरीक्षण प्रभार
रू.
रू. ,, 3. दिनांक 31-3 – को देय क.नि.स.बी. अंशदान (सरकार) का हिस्सा
रू.
रू. ,, 4. दिनांक 31-3 – को देय क.नि.स.बी. प्रशा. प्रभार (सरकार) का हिस्सा
रू.

वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी

कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा खाता

अनुसूचियां

अनुसूची सं. I

विविध जमा :

1.	खाता सं. 21 में अतिरिक्त जमा	
2.	खाता सं. 25 में अतिरिक्त जमा	
3.	भारतीय रिजर्व बैंक खाते में अतिरिक्त जमा	
4.	खाता सं. 22 में अतिरिक्त जमा	

5.	खाता सं. 24 में अतिरिक्त जमा	
	31 मार्च,-------को शेष	

अनुसूची सं. II

प्रतिभूतियों में निवेश

	पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष	
घटाएं:		
	वर्ष के दौरान छुड़ाई गई प्रतिभूतियां	
	31 मार्च,-------को शेष	

अनुसूची सं. III

सार्वजनिक खाते में जमा की गई राशि

1.	वर्ष के दौरान किए गए जमा	
2.	--- के लिए सरकार का अंशदान का हिस्सा	
3.	बकाए के लिए सरकार का हिस्सा	
4.	सार्वजनिक खाते में शेष पर ब्याज	
	31 मार्च,-------को शेष	

अनुसूची सं. IV

निवेशित राशि

	पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष	
जोड़ें:		
	वर्ष के दौरान जमा की गई राशि	
घटाएं:		
	वर्ष के दौरान छुड़ाई गई प्रतिभूतियां	
	31 मार्च,-------को शेष	

अनुसूची संख्या V

क.भ.नि. प्रशा. लेखा से देय राशि:

(क)	लेखा संख्या 24 में लेन-देन	
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष	
जोड़े :		
	वर्ष के दौरान	
घटाएं:		
	वापसी प्राप्त हुई राशि	
	31 मार्च, को शेष	
(ख)	लेखा संख्या 22 के संबंध में लेन-देन	
	क.भ.नि. लेखा संख्या 2 में अंतरित राशि	
31 मार्च, ... को शेष : (क) + (ख)		

अनुसूची संख्या VI

रोकड़ बही शेष

1.	लेखा संख्या 21	
2.	लेखा संख्या 25	
3.	लेखा संख्या 22	
4.	लेखा संख्या 24	
31 मार्च, ... को शेष		

अनुसूची संख्या VII

प्रेषण में मार्गस्थ राशि :

1.	लेखा संख्या 21 से 25 में	
2.	भारतीय रिजर्व बैंक खाते से लेखा संख्या 25 में	
3.	लेखा संख्या 22 से 24 में	
31 मार्च, ... को शेष		

अनुसूची संख्या VIII

विविध नामे:

1.	लेखा संख्या 21	
2.	लेखा संख्या 25	
3.	लेखा संख्या 22	
4.	लेखा संख्या 24	
31 मार्च, ... को शेष		